अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 103/2013

भूमि राम एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

रनियॉ देवी एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.10.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 48/2012–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के समक्ष दिनांकः 04.07.2012 को एक आवेदन दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि मौजाः थलहा गढ़िया, टोलाः करमिनियॉ, अंतर्गत खाता संख्याः 868, खेसरा संख्याः 5589, रकवाः 0.6.0 (छः कट्ठा) भूमि में से रकवाः 0.1.4 (एक कट्ठा चार धूर) भूमि रेस्पोण्डेन्ट/वादी के द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्रियों क्रमशः कैलू राम, आनंदी राम तथा मुशहर देवी के नाम से निबंधित केवालः दस्तावेज संख्याः 2046/93 द्वारा क्रय कर दखलकार है वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी के द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके दखल की 10 धूर भूमि पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्याः 01 एवं 02 द्वारा एवं 14 धूर भूमि पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्याः 03 एवं 06 द्वारा कब्जा कर लिया गया है, पर दखल दिलाने एवं भूमि के सीमांकन हेतु अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी निम्न न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब दाखिल किये तथा कथन किए कि मौजाः थलहा गढ़िया अंतर्गत वर्णित विवादी भूमि अपीलार्थी/प्रतिवादी के दखल तथा मकान मय सहन की भूमि थी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि वर्षः 1959–60 में बंदोबस्ती वाद संख्याः 01/1959–60 के माध्यम से कुल रकवाः (0.5.8) पॉच कट्ठा आठ धूर भूमि कनिक मोची के नाम से वो रकवाः 0.3.7 (तीन कट्ठा सात धूर) भूमि मनिक मोची के नाम से बिहार सरकार द्वारा 4 रू० प्रति बीघा वार्षिक रेन्ट पर बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार कनिक मोची एवं मनिक मोची उर्फ मणी राम के नाम से रकवाः 0.3.7 (तीन कट्ठा सात धूर) भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्याः 208 वर्षः 1959–60 से ही चलती आ रही है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्येक वर्ष मालगुजारी का भुगतान

कर मालगुजारी रसीद प्राप्त किया जाता रहा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि *अपीलार्थी के पिता के नाम से बन्दोबस्ती पर्चा अंचलाधिकारी एवं जिलादार द्वारा निर्गत किया गया है बतलाते हैं।*

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि मनिक राम उर्फ मणी राम द्वारा दुर्गी देवी से खेसरा संख्याः 5589 का रकवाः 0.8.5 (आठ कट्ठा पॉच धूर) भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांकः 12.06.61 के द्वारा क्रय किया गया तथा जमाबंदी संख्याः 300 मनिक राम एवं मणी राम पिता–बंसी राम के नाम से चल रहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रिविजनल सर्वे दौरान खेसरा संख्याः 8629 मकान मय सहन के रूप में मनिक राम पिता–बंशी राम के नाम से खतियान में दर्ज किया गया वो नापी वाद संख्याः 28/88–89 द्वारा अंचल अधिकार के आदेश से अंचल अमीन द्वारा अपीलार्थी के बंदोबस्ती बासगीत भूमि एवं खरीदगी भूमि का सीमांकन किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि कैलू राम एवं आनंदी राम द्वारा विवादी भूमि के निश्वत धारा 144 अंतर्गत एस0डी0एम0, त्रिवेणीगंज के समक्ष विविध वाद संख्याः 203/06 दाखिल किया गया जिसमें अपीलार्थी भूमि राम एवं अन्य के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि दिनांकः 09.12.2012 को ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक पंचायत आयोजित की गई जिसमें रेस्पोण्डेन्ट संख्याः 02 आनंदी राम एवं अपीलार्थी बेचन यादव द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष हस्ताक्षर किये गये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि आनंदी राम भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के अनुसेवक होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांकः 12.07.2012 को वाद के स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया गया वो अपीलार्थी द्वारा सभी कागजात दाखिल किया गया था परन्तु रेस्पोण्डेन्ट आनन्दी राम के मिलीभगत से निम्नन्यायालय द्वारा तथाकथित आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपने दावों के समर्थन में कनिक मोची के नाम से जमाबंदी संख्याः 207 के रेन्ट रसीद की छायाप्रति इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट रनिया देवी ने अपने दो पुत्र कमशः कैलू राम वो आनन्दी राम एवं एक पुत्री मुसहर देवी के नाम से मौजा थलहा गढ़िया खाता 868 खेसरा 5589 रकबा 0.6.0 जमीन केवाला संख्या 2046/93 के माध्यम से खरीद कर दखलकार हुई।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि केवाला खरीदगी के पश्चात रकबा 0.6.0 में से 0.0.10 धूर जमीन अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा तथा 0.0.14 धूर जमीन अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 से 6 कब्जा कर लिया गया ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि वर्श 1999 में अंचल अमीन के द्वारा नापी कर सीमांकन किया गया था जिसे अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अवैध बताते हुए मानने से इंकार कर दिए बतलाते हैं वो पंचायत बुलाकर पंचों के फैसला अनुसार ग्रामीण अमीन द्वारा भी नापी करवाया गया जिसमें 0.1.4 धूर भूमि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के कब्जा में है बतलाते हैं ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील अर्जी के पेज संख्या –6 के कंडिका –6 में इस न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाया गया है कि *अपीलार्थी के पिता मानिक राम के नाम से बन्दोबस्ती पर्चा अंचलाधिकारी एवं जिलादार द्वारा निर्गत किया गया है।* वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएवं अपील वाद स्वीकृत करते हुए मामले को पुनः सुनवाई एवं उभय पक्षों के कागजात का परिशीलन करने के उपरांत आश्वस्त होकर न्यायोचित आदेश पारित करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज को पुनःप्रेषित

(Remand) किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

10/1/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

10/01/2014

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा